## उत्तर पश्चिम रेजवे



# 964-E/O/SCT

मण्डल रेल प्रबंधक / कार्मिक — जयपुर अजमेर, जोबपुर, बीकानेर मुख्य कारखाना प्रबंधक — अजमेर, जोबपुर, बीकानेर उप मुख्य सामग्री प्रबंधक — अजमेर, जोबपुर मुख्य प्रशासनिक अविकारी / निर्माण — जयपुर समस्त विभागाध्यक्ष / प्रका. — जयपुर सिव्द / महाप्रबंधक, वरिष्ठ महाप्रबंधक / सतर्कता प्रका. — जयपुर मुख्य राजमाबा अविकारी / प्रका. — जयपुर अध्यक्ष रेलवे भर्ती बोर्ड — अजमेर प्राचार्य क्षेत्रीय रेलवे प्रशिक्षण संस्थान — उदयपुर प्राचार्य कार्मिक प्रशिक्षण केन्द्र — जोबपुर उप निदेशक, लेखा परीक्षा प्रका. — जयपुर सहायक सचिव / गोपनीय — महाप्रबंधक प्रका. — जयपुर मुख्य खजांची रोकड एंव वेतन विभाग प्रका. — जयपुर निजी सचिव / महाप्रबंधक, वित सलाहकार एंव मुख्य लेखा अधिकार विजी सचिव / महाप्रबंधक, वित सलाहकार एंव मुख्य लेखा अधिकार विजी सचिव / महाप्रबंधक, वित सलाहकार एंव मुख्य लेखा अधिकार विजी सचिव / महाप्रबंधक, वित सलाहकार एंव मुख्य लेखा अधिकार वित स्वाहकार एंव मुख्य लेखा अधिकार विजी सचिव / महाप्रबंधक, वित सलाहकार एंव मुख्य लेखा अधिकार विजी सचिव / महाप्रबंधक, वित सलाहकार एंव मुख्य लेखा अधिकार विजी सचिव / महाप्रबंधक, वित सलाहकार एंव मुख्य लेखा अधिकार विजी सचिव / महाप्रबंधक, वित सलाहकार एंव मुख्य लेखा अधिकार विजी सचिव / महाप्रबंधक । वित सलाहकार एंव मुख्य लेखा अधिकार विजा सचिव / महाप्रबंधक । वित सलाहकार एंव मुख्य लेखा अधिकार ।

[RBE NO. 31/2015]

Applicability of the fost amongst the failures scheme

(5) Railway Bo Lno 2008-E (SCT) 1/25/6 [ct. 27/3/15]
(5) Railway Bo Lno 28-E (SCT) 1/23/1 ct. 28/6/95 RBENOS7/95
(11) Railway Bo Lno 97-E (SCT) 1/25/2 ct. 3/3/1997

ऐलवे बोर्ड वर्ड दिल्ली के संवर्भित पत्र दि 27/3/15 की प्रतिलिपि आवश्यक कार्यवाही, मार्ग वर्सन एव सूचनार्थे प्रेवित की जो एही है। सलंग्य- यथोक्त।

प्रतिलिपि:-

1. महासचिव- एनडब्ल्यूआएईयू 15 प्रतियाँ।

महासचिव - यूपीआरएमएस
 महासचिव - एससी / एसटी एसो.
 प्रतियाँ।

4. महासचिव- ओबीसी एसो. 06 प्रतियाँ।

महासचिव— पदोन्नत अधिकारी एसो. 15 प्रतियाँ।

विला प्राप्त । कृते महाप्रमंधक / कार्मिक



## GOVERNMENT OF INDIA MINISTRY OF RAILWAYS (RAILWAY BOARD)

ELAIN COSTES

No. 2008-E(SCT)I/25/6

New Delhi, Dated 27.03.2015

The General Managers (P), This Raidway Taipuy
All the Zonal Railways and PUs.

The Director General, RDSO/Lucknow

Sub.: Promotion of SC/ST employees against reserved vacancies in Stenographers grades on Railways- Applicability of the best amongst the failures scheme.

**Ref.:** (i) Board's letter No. 88-E(SCT)I/23/1 dated 28.06.1995 RB.No.57/95)

(ii) Board's letter No. 97-E(SCT)I/25/2 dated 03.03.1997.

References have been received in Board's office from various Railways expressing doubt regarding applicability of the 'Best Amongst the Failures Scheme' Promotion of SC/ST employees against reserved vacancies in Stenographers grades on Railways.

- 3. The matter has been examined in this office and it is reiterated that said 'Best Amongst the Failures Scheme' is equally applicable in the category of Stenographers also with the same terms and conditions as applicable to other non-safety category posts as laid down in Board's letter No. 88-E(SCT)I/23/1 dated 28.06.1995(RB.No.57/95) wherever the suitability of the candidates is judged through Written Test and/or Viva-voce etc.
- 3. It is further clarified that there is no relaxation for SC/ST candidates in the Stenography Speed Test over and above the permissible limit of 10% mistakes of total words dictated as per extant instructions of the Board.

The above may please be brought to the notice of all concerned for its strict compliance.

DA:Nil

n 6 APP 2015

Executive Director Estt.(Res.)

.03/Polive